उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्याः–2882/सेक–2–पांच–2017–7(237)/2014
लखनऊ :: 4 जुलाई, 2017

अधिसूचना

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों की अधिवर्षता आयु लोक हित में 60 वर्ष के स्थान पर 62 वर्ष करने की स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन अधिसूचना संख्या–2324/सेक–2–पांच–2017–7(237)/2014, दिनांक 31.05.2017 द्वारा प्रदान की गयी है।

2– सम्यक विचारोपरान्त उक्त अधिसूचना दिनांक 31.05.2017 की शर्त संख्या–1 में "वर्तमान में कार्यरत चिकित्साधिकारियों में से जो चिकित्साधिकारी, 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होना चाहें, उन्हें विकल्प प्रदान किया जायेगा", के स्थान पर "उक्त व्यवस्था वर्तमान में कार्यरत समस्त चिकित्साधिकारियों पर अनिवार्य रूप से लागू होगी", की स्वीकृति एतद्द्वारा श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं।

3– यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,

आलोक कुमार
सचिव।

संख्या– 2882 (1)/सेक–2–पांच–2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0, इलाहाबाद को असाधारण गजट में उक्त तिथि को प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।

संख्या–2882 (2)/सेक–2–पांच–2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3– महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4– निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
5– समस्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
6– निदेशक, पेंशन, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
7– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
8– समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, मण्डलीय/जिला (पुरूष/महिला/संयुक्त) चिकित्सालय, उ0प्र0।

9— समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
10— समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
11— समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।
12— वित्त / कार्मिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
13— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।